मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक **08-01-2026**

क्रमांक **F-1/1/35/0002/2023-Sec-1-10(FOR)::** मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य वन सेवा परीक्षा वर्ष **2020** से वनक्षेत्रपाल के पद पर चयनित निम्नांकित प्रशिक्षु वनक्षेत्रपालों द्वारा वन प्रशिक्षण अकादमी चन्द्रपुर, महाराष्ट्र से प्रशिक्षण सत्र **2024-25** में **18** माह का वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वन प्रशिक्षण अकादमी चन्द्रपुर महाराष्ट्र द्वारा दिनांक **17.09.2025** को अवमुक्त किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त प्रशिक्षु वनक्षेत्रपालों को दिनांक **18.09.2025** से वनक्षेत्रपाल के पद पर **02** वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सातवें वेतनमान में पे मैट्रिक लेवल**-9**में वेतनमान रूपये **36200-114800/-** के न्यूनतम वेतन में नियुक्त करता है:-

सरल क्रमांक	वनक्षेत्रपाल का नाम
1	श्री देवेश त्रिवेदी
2	श्री गौरव त्रिवेदी
3	श्री मानव पाटीदार

2/ परिवीक्षा अवधि के दौरान इन्हें वनक्षेत्रपाल पद हेतु नियत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3/ परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी भी समय सेवामुक्त किया जा सकेगा।

4/ वनक्षेत्रपालों को कम से कम **05** वर्ष की सेवा राज्य में देनी होगी अन्यथा उम्मीदवार को प्रशिक्षण में जाने के पूर्व विहित प्रारूप में निष्पादित करारनामा एवं प्रशिक्षण बंधपत्र में उल्लेखित राशि जमा करनी होगी।

5/ परिवीक्षाधीन व्यक्ति राज्य में ऐसे और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा कि अधिकथित किया जाए और ऐसी विभागीय परीक्षाऐं उत्तीर्ण करेगा जैसा कि विहित की जाए।

6/ शासन के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में स्थायी किया जाएगा।

7/ राज्य शासन के अधीन दिनांक **01.01.2005** अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाएं और उन्हें लागू किया जाये, के अधीन रहेंगे।

8/ शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात् सभी शासकीय सेवक स्वतः ही शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तो से आबद्ध हुए माने जाते हैं तथा इनकी सेवाऐं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम **1965** के अध्यधीन रहेंगी।

9/ इन नियुक्तियों में म.प्र. लोक सेवा आयोग (अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम **1994** (क्रमांक **21** सन् **1994**) के उपबन्धों का और अधिनियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा **6** की उपधारा **(1)** के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

10/ यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में यदि अधिकारी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
RAJESH BATHAM
Date: 08-01-2026
16:18:14

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्र. **F-1/1/35/0002/2023-Sec-1-10(FOR)**, भोपाल, दिनांक **08-01-2026**

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी वन विभाग, म0प्र0 भोपाल।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
7. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. संबंधित मुवंस/वमंअ...........द्वारा अप्रमुवसं. (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
10. संबंधित............................ द्वारा अप्रमुवसं, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल
(शाखा-प्रशासन-।।)

ए-ब्लाक, सेकंड फ्लोर, वन भवन, तुलसी नगर, मध्य प्रदेश, भोपाल, पिनकोड-462003
(Phone No.-0755-2674238, Email-Id: - apccfng@mp.gov.in)

पृ.क्र./प्रशा-।।/स्था-3/व.क्षे.कक्ष/86 भोपाल दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपिः

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) खण्डवा/ग्वालियर/इंदौर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संबंधित वनमण्डलाधिकारियों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल द्वारा नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।

09/01/26

(कमलिका मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा-।।)
मध्यप्रदेश भोपाल